

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 149/2020 (2020/00370)

1. दीपक कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन निवासी धोबी मोहल्ला केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. राकेश जैन पुत्र मनोहरलाल जैन निवासी प्लॉट नं. 9 गोविन्द नगर, आदर्श नगर टोंक जिला

---वादीगण

♣ बनाम ♣

1. बद्रीलाल माली पुत्र रामकिशन माली निवासी सूरजपोल गेट केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. दीपवन्द आचार्य पुत्र ईश्वरलाल आचार्य निवासी अजमेर रोड केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. रेणू जाट पत्नि स्व महावीर जाट निवासी जगदीशपुरा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. सक्षम जाट पुत्र स्व महावीर जाट नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रेणु पत्नि स्व महावीर जाट निवासी जगदीशपुरा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. छगू देवी पत्नि स्व रतनलाल जाट निवासी जगदीशपुरा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू-अभिलेख) केकड़ी जिला अजमेर

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री सीताराम गुप्ता-वकील वादी
2. श्री शैलेन्द्र सिंह - वकील प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी।

आदेश

दिनांक 02.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी के खाता संख्या नया-पुराना 1612-926 में स्थित खसरा नम्बर 8786/4884, 8788/4885 कुल किता 2 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 12.04.2023 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकड़ी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा क्रमशः	किरम
1	दीपक कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन हिस्सा 1/2 सा0देह, राकेश जैन पुत्र मनोहरलाल जैन हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा. टोंक खातेदार	8786/4884/1 8788/4885/1	0.35 0.02	बा.2 गै.मु.पाल
		किता 2	रकबा 0.37 है0	



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

2	बद्रीलाल माली पुत्र रामकिशन जाति माली हिस्सा 1/3, दीपचन्द पुत्र ईश्वरलाल जाति आचार्य हिस्सा 1/3, रेणु पति। महावीर, सक्षम पुत्र महावीर हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	8786 / 4884 / 2 8788 / 4885 / 2	1.20 0.04	वा.2 मै.मु.पाल
	कित्ता 2	रकबा 1.24 है०		

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव) वादी व प्रतिवादी का अलग-अलग हिस्सा अलग-अलग रंगो से चिह्नित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा आवगत करायी गया कि वादी दीपक कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जैन, सक्श पुत्र मनोहर लाल जैन, दीपचन्द पुत्र ईश्वर लाल आचार्य गौके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की वहसा पर गौर किया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क.स.	नाम खातेदार	खरारा नंबर	रकबा क्रमशः	किस्सा
1	दीपक कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन हिस्सा 1/2 सा०देह, सक्श जैन पुत्र मनोहरलाल जैन हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा. टोंक खातेदार	8786 / 4884 / 1 8788 / 4885 / 1	0.35 0.02	वा.2 मै.मु.पाल
		कित्ता 2	रकबा 0.37 है०	
2	बद्रीलाल माली पुत्र रामकिशन जाति माली हिस्सा 1/3, दीपचन्द पुत्र ईश्वरलाल जाति आचार्य हिस्सा 1/3, रेणु पति महावीर, सक्षम पुत्र महावीर हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	8786 / 4884 / 2 8788 / 4885 / 2	1.20 0.04	वा.2 मै.मु.पाल
		कित्ता 2	रकबा 1.24 है०	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जगाबंदी मे अलग अलग खाते व लगान कायम करे।
इस आशय का डिक्ली पर्चा जारी हो। खर्चा करिकेन अपना-अपना वहन करे।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकाना मंडोली)
उपरोक्त अधिकारी
रमेश कुमार
केकडी



मूल वाद में अतिम डिफ़ी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपलब्ध आधिकारी केकडी जिला अजमेर
(विवासीन आधिकारी केम कोड)
विवासीन आधिकारी- विवासा पत्नी (आदेश 20)
उत्पत्ति

दीपक कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन निवासी घोडल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
सकेश जैन पुत्र मनीहखलाल जैन निवासी ब्लॉक नं. 9 गोविंद नगर, आदेश नगर लोक जिला लोक

—वादीगण

- बदलाल माली पुत्र रामकिशन माली निवासी रुरजपोल गेट केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
नंद आचार्य पुत्र ईश्वरलाल आचार्य निवासी अजमेर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
रेणु जाट पति रव महावीर जाट निवासी जगदीशपुरा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
संक्षम जाट पुत्र स्व महावीर जाट नवालिग जरिसे कुदरसी वली गावा रेणु पति रव महावीर जाट निवासी जगदीशपुरा
केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
छंगू देवी पति स्व रतनलाल जाट निवासी जगदीशपुरा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
राजस्थान सरकार जरिसे तहसीलदार (गू-अगिलेख) केकडी जिला अजमेर
वाद पत्र:- अतिर्गत धारा अनर्गत धारा 53, 88 राज. कारवाकरी अधिनियम
मुकदमा नम्बर:- राजरव वाद 149 / 2020 (2020 / 00370)
निर्णय दिनांक:- 02.06.2023

प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वारसे इनाफियाल कर्ट्स रुबरु श्री विकास पत्नी आर०ए०ए०ए० उपलब्ध आधिकारी केकडी
बहालशि श्री सीताराम गुप्ता वकील वादी श्री शेलेन्द सिंह वकील प्रतिवादी री. 1, पैरोकार सरकार जर्दे तहसीलदार केकडी
हाजिर मुददावलाह पेश कर हुआ किया जाता है वाद पत्र:- अतिर्गत धारा 53, 88 राज. कारवाकरी अधिनियम का दावा
स्वीकार किया जाकर ग्राम/करवा केकडी तहसील केकडी के खाता संख्या नया खाता संख्या 1612-926 में दर्ज खसरा
नम्बर 8786/4884, 8788/4885 कुल किता 2 के निर्णय व प्रारंभिक डिफ़ी दिनांक 12.04.2023 की पालना में बटवारा
प्रस्ताव तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा क्वा.गज.	किरा
1	दीपक कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन हिस्सा 1/2 साठदंड, सकेश जैन पुत्र मनीहखलाल जैन हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा. लोक खातेदार	8786/4884/1 8788/4885/1	0.35 0.02	वा.2 गै.मु.पाल
2	बद्रीलाल माली पुत्र रामकिशन जाति माली हिस्सा 1/3, दीपवन्द पुत्र ईश्वरलाल जाति आचार्य हिस्सा 1/3, रेणु पति महावीर, संक्षम पुत्र महावीर हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	8786/4884/2 8788/4885/2	1.20 0.04	वा.2 गै.मु.पाल
		किता 2	रकबा 1.24 है०	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजरव रिकॉर्ड जमावदी में अलग अलग
खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिफ़ी पर्व जांरी किया जाता है खर्चा फरिफन अपना अपना वहन करे।

बीजा मुवातिक..... बंधन।
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीरदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....
को अदा करे

बसल भेरे दरतखत व मुहर अदालात के आज तारीख 02.06.2023 को जांरी की गई।

दस्तावेज विकारी
ओरदेवा
नखत/उपरी

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रकबा/उपरी
स्टामप अजी दावा	0	0	स्टामप अजी दावा	0
स्टामप वकालतनामा	स्टामप वकालतनामा
स्टामप वजह सबूत	स्टामप वजह सबूत
महानातिना वकील	महानातिना वकील
खर्चा/विवाहिन	खर्चा गवाहन
फीरदा कनिशन	फीरदा कनिशन
वाधव इजराय हुषानामा	वाधव इजराय हुषानामा
मुकभरिक	वाधव इजराय हुषानामा
गोट-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिफेन का चाहे डिफ़ी के जरिये रिलाया गया हो या नहीं दर्ज	गिजान	0	गिजान	0

